न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 33/21
GCMS No- 2021/156 — वर्ष 2021

बउनवानीः— 1. चतरू पुत्र श्री बजरंगा मीना निवासी मुई तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड़ सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम मुई तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्दा भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.92 है0 पर लगे हुए अमरूद्द, के पेडो की कम आयु का अवार्ड देने बाबत।

उपस्थितः—1. श्री भोलाशंकर शर्मा — वकील प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा — वकील अप्रार्थी 2

—: निर्णय :— दिनांकः—19.10.2023

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम मुई तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्दा भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.97 है0 पर लगे हुए अमरूद्द, के पेडो की कम आयु का मुआवजा देने बाबत जारी नोटिस कमांक भूमि अवाप्ति/पीए/भू0अवा./2021/385 दिनांक 27.8.2020 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली—बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0 222 रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम मुई भी अधिग्रहण किया गया। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थी के अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध एवं वास्ता नही है उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थी के लगभग 244 अमरूद के पेड 5 वर्ष पुराने लगे हुए है किन्तु उक्त वृक्षो की आयु 5 वर्ष के बजाय 2 वर्ष मानते हुए अवार्ड जारी किया है जिसके कारण प्रार्थी को काफी कम अवार्ड मिला है। अतः पुनः सर्वे करवाया जाकर 244 अमरूद के पेडो की आयु 5 वर्ष पुराने पेडो के हिसाब से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह तर्क भी दिया कि अमरूदो के पेडो की 5 वर्ष आयु के अनुसार मुआवजा दिये जाने बाबत ख0न0 222 की खसरा गिरदावरी सम्वत, 2071 से 2077 तक की पेश की जाकर आपत्ति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दर्ज करा दी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवायी नही की गयी है। अतः ख0न0 222 पर लगे हुए अमरूदो के 244 पेडो की सम्वत् 2071 से लगे हुए है अतः 5 वर्ष पुराने मानते हुए अवार्ड को संशोधित अवार्ड दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2—लेन/4—लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर "एवं "राजस्थान पत्रिका "में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म बारानी—3 निजी सिचिंत* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा—3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मुई की भूमि ख0न0 222 रकबा 0.92 है0 मे से अवाप्त भूमि 0.5254 है0 का अवार्ड हितबद्व व्यक्ति 24,72,807/—रू प्रार्थी के नाम जारी किया है तथा उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पति 240 अमरूदो के वृक्षो की आयु 2 वर्ष के हिसाब से अवार्ड राशि 9,14,400/—रू प्रार्थी को दिया गया है। यद्यपि प्रार्थी द्वारा ख0न0 222 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070 से 2076 की प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है जिसमे सम्वत् 2071 की खसरा गिरदावरी में अमरूद का बगीचा दर्शाया गया है किन्तु प्रार्थी द्वारा सर्वे के समय वृक्षो की आयु से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये थे। इसलिए अमरूद के वृक्षो का अवार्ड मुताबिक सर्वे रिपोर्ट 2 [illegible] आयु मानते हुए किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अ[illegible] प्रार्थी[illegible]ण की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज करमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब/बहस मे निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम मुई के ख0न0 222 रकबा 0.92 है0 मे से 0.5254 है0 भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि की अवार्ड राशि 24,72,807/–रू का भुगतान हितबद्व व्यक्ति प्रार्थी चतरू पुत्र बजरंगा मीना को किया जा चुका है। उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पति अमरूद के 240 वृक्षो की 2 वर्ष के हिसाब से अवार्ड राशि 9,14,400/–रू का भुगतान प्रार्थी को किया जा चुका है। किन्तु उक्त भूमि अवाप्ति के समय उस पर लगे हुए अमरूदों के पौधो की आयु 5 वर्ष होने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कथन करते हुए अपने कथन के समर्थन में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070–2076 प्रस्तुत की गयी है जिसमे खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071 मे अमरूद का बगीचा अंकित है उक्त खसरा गिरदावरी के आधार पर अवाप्ति के समय प्रार्थी के अमरूद के पौधो की आयु 5 वर्ष मानी जा सकती है। प्रार्थी द्वारा अमरूदो के 240 पौधो की अवार्ड राशि 5 वर्ष पुराने पौधो के हिसाब से चाही गयी है एवं अपने कथन के समर्थन मे उक्त पौधो की आयु 5 वर्ष होने बाबत दस्तावेजी साक्ष्य सबूत यथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071 से 2076 भी पेश किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस मे अंकित तथ्यों/दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी के अमरूद के पौधों की आयु 2 वर्ष थी अथवा 5 वर्ष थी के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अवार्ड विधिसम्मत नही होने के कारण प्रार्थी के पक्ष मे पारित 240 अमरूद के पौधो के आयु के संबंध अवार्ड का पुनः परीक्षण करवाया जाना उचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि एन.एच.148 के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही/सर्वे के समय प्रार्थी के अमरूद के पौधों की आयु 5 वर्ष होने से संबंधित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का समुचित अवसर दिया जावे एवं उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर पुनः नियमानुसार अवार्ड पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Scanned with OKEN Scanner